20.05.2025:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी जरिये अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. मे चक नम्बर 4 पीबी.एन. के खाता सख्या 145/103 इस चक के खाता सख्या 117/192 एव व चक नम्बर 3 पीबी.एन. के खाता सख्या 112/97 इस चक के खाता सख्या 130/114 मे वादी का नाम **''राधाकृष्ण पुत्र वेद प्रकाश''** के स्थान पर **''राधेश्याम पुत्र वेद प्रकाश''** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। साक्ष्य के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि दस्तावेजात पेश किये गए है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील के पत्र कमाक भू.अ./2025/1707 दिनांक 19.05.2025 के सलग्न दैनिक डायरी व अन्य दस्तावेजातो द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी का नाम सही नाम **''राधेश्याम पुत्र वेद प्रकाश''** है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार हनुमानगढ के रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र न्यायाहित मे स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि चक नम्बर 4 पीबी.एन. के खाता सख्या 145/103 इस चक के खाता सख्या 117/192 एव व चक नम्बर 3 पीबी.एन. के खाता सख्या 112/97 इस चक के खाता सख्या 130/114 मे प्रार्थी का नाम **''राधाकृष्ण पुत्र वेद प्रकाश''** के स्थान पर **''राधेश्याम पुत्र वेद प्रकाश''** दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफतर की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:49:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी